फर्द अहकाम

श्रीमती सादेवी v/s बनाम भगवान कौर

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 28/2019 प्रार्थनापत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28-2-20	वकील प्रार्थी उप० नि० के० दौरे में पधारे हैं। गत आदेश की पालना में दिनांक 18-2-20 को पेश हो। प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
	18-2-20	फायली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० बहस प्रार्थनापत्र सुनी गयी। वकील प्रार्थी की दलीलें उचित प्रतीत होती हैं प्रकरण के दिनांक 10-4-19 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। अतः ता फैसला अपील अपीलगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि ख०नं० 2638 रकबा 0.14 है० वाके ग्राम बामणवास प० ह० बड़ौदिया तहसील विराटनगर की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। फायली प्रथम Confirm किया जाता है। फायली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। हम मिसलबन्द रहे। नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)